

समाहरणालय, मधेपुरा

(जिला गोपनीय शाखा)

मो० सोहैल, भा०प्र०से०, जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा दिनांक 08-02-2016 को विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ की गयी सोमवारीय (Monday Meeting) बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :-

(2) अनुपस्थित पदाधिकारी

समीक्षा के क्रम में निम्नांकित पदाधिकारी बैठक से अनुपस्थित पाये गये :-

क्र०	संबंधित पदाधिकारी	अभ्युक्ति
1.	उप विकास आयुक्त, मधेपुरा	अवकाश में।
2.	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा	बैठक में भाग लेने हेतु पटना गये।
3.	जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा	बैठक में भाग लेने हेतु पटना गये।
4.	जिला मत्स्य पदाधिकारी, मधेपुरा	बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित।
5.	भूमि विकास बैंक, मधेपुरा	बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित।
6.	उप महाप्रबंधक (तक०), बि०स्टे०रोड विकास कॉ०लि०, मधेपुरा	बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित।
7.	मोटोरयान निरीक्षक, मधेपुरा	बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित।
8.	जिला खनन पदाधिकारी, मधेपुरा	बैठक में भाग लेने हेतु पटना गये।
9.	जिला खाद्य निरीक्षक, मधेपुरा	बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित।

प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण पूछा जाए।

(अनुपालन-प्रभारी पदा०, जिला गोपनीय शाखा)

➤ सर्वप्रथम जिलाधिकारी द्वारा उपस्थित सभी पदाधिकारियों का बैठक में स्वागत किया गया। तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

(3) जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारियों के साथ अंतर विभागीय समन्वय बैठक हेतु निम्नांकित विभागों की समीक्षा विभागवार की गयी :-

क्र०	संबंधित विभाग /पदा० का नाम	इस सप्ताह में किए जाने वाले कार्य
1.	(कल्याण) जिला कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा	जिला कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा राज्य स्तरीय बैठक में भाग लेने हेतु पटना जाने के कारण बैठक में उपस्थित प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी से कल्याण विभाग अन्तर्गत विभिन्न छात्रवृत्ति (पोस्ट /प्री-मैट्रिक आदि) वितरण की समीक्षा की गयी तथा निदेशित किया गया कि सभी मदों की छात्रवृत्ति की राशि दिनांक 15-02-2016 तक शत-प्रतिशत नियमानुसार वितरण कराना सुनिश्चित करें तथा दिनांक 15-02-2016 की संध्या में शत-प्रतिशत वितरण संबंधी प्रमाण-पत्र समर्पित करें। जब तक छात्रवृत्ति वितरण का कार्य पूर्ण नहीं हो जाता है, तब तक जिला कल्याण कार्यालय को दिनांक 15-02-2016 तक 08:00 बजे पूर्वा० से 08:00 बजे रात्रि तक खुला रखने संबंधी आदेश निर्गत करने का निदेश प्रभारी पदाधिकारी, गोपनीय को दिया गया।

2.	कार्यपालक अभियंता, आर0सी0डी0	समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि मधेपुरा में रोड की स्थिति बहुत ही दयनीय है। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि बैरियर नहीं लगाया गया है, जिसके कारण बड़े वाहनों का चौसा पथ में आवागमन चालू है। बैठक में मोटरयान निरीक्षक, मधेपुरा की खोज की गयी, परन्तु वे अनुपस्थित पाये गये, फलस्वरूप प्रभारी पदाधिकारी, गोपनीय को निदेशित किया गया कि मोटरयान निरीक्षक, मधेपुरा से अनुपस्थित रहने के निमित्त कारण पृच्छा किया जाए।
3.	पैक्स (जिला सहकारिता पदा0)	समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि पैक्सों द्वारा धान की खरीदारी में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पा रही है। जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि धान के क्रय हेतु कार्यों में शीघ्रता लावें।
4.	भवन	<p>समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि पांच प्रखण्डों के जमीन का प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध कराने का निदेश पूर्व में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, मधेपुरा को दिया गया था। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि गम्हरिया से अनापत्ति प्रमाण-पत्र की मांग की गयी है। जबकि ग्वालपाड़ा एवं बिहारीगंज का प्रस्ताव प्राप्त हो गया है तथा घैलाढ़ भी प्रस्ताव भेज दिया है। साथ ही अपर समाहर्ता द्वारा बताया गया कि शंकरपुर प्रखण्ड के लिए वार्ता हो गई है। कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया गया कि अविलम्ब प्रस्ताव तैयार कर विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।</p> <p>आई0टी0आई0 के निर्माण के बारे में कार्यपालक अभियंता, भवन द्वारा बताया गया कि चिन्हित स्थल पर 15 कट्टा जमीन में विवाद के कारण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि अंचलाधिकारी को निदेशित किया गया है कि जिस जमीन में विवाद चल रहा है, उसे छोड़कर शेष जमीन की नापी अमीन से करवा लिया जाए एवं निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जाए। साथ ही कला भवन के पास उपलब्ध सरकारी जमीन में आर्ट गेलरी के निर्माण हेतु जमीन को चिन्हित कर अग्रतर कार्रवाई करने का निदेश प्रभारी पदाधिकारी, गोपनीय को दिया गया।</p> <p>समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि प्रत्येक प्रखण्ड में एक-एक स्टेडियम का निर्माण किया जाना है, जिसके लिए प्रखण्ड के वैसे उच्च विद्यालय, जिसे खाली सरकारी जमीन उपलब्ध हो, को चिन्हित किया जा सकता है। अतएव जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि उक्त प्रस्ताव अविलम्ब उपलब्ध करावें।</p> <p>यह भी बताया गया कि टाउन हॉल के निर्माण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। जिला योजना पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि इस संबंध में अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करें।</p> <p>समीक्षा के क्रम में प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व को निदेशित किया गया कि उदाकिशुनगंज डिग्री कॉलेज के संबंध में अविलम्ब नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करें।</p> <p>जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि केन्द्रीय विद्यालय के निर्माण हेतु 05 एकड़ भूमि की आवश्यकता है। निदेशित किया गया कि केन्द्रीय विद्यालय के निर्माण हेतु प्रस्ताव अविलम्ब तैयार कर उपस्थापित की जाए एवं तत्काल पठन-पाठन हेतु किसी सरकारी भवन को चिन्हित कर प्रतिवेदन समर्पित करना सुनिश्चित करें।</p>

5. प्रखण्ड / जिला में विडियो कॉन्फ्रेंस का आयोजन (जिला सूचना विज्ञान अधिकारी /आई0टी0 मैनेजर)	जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि आगामी सप्ताह से जिला स्तर पर विडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन किया जाएगा, जिसमें संबंधित प्रखण्ड के प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारी यथा- सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी, सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सभी प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी, सभी प्रखण्ड सहकारिता पदाधिकारी, सभी प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी आदि अपने-अपने प्रखण्ड के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के मुख्यालय में मौजूद रहेंगे, ताकि वहीं से ही प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारियों के कार्यों की समीक्षा की जा सके। सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी निर्धारित तिथि को विडियो कॉन्फ्रेंस कराना सुनिश्चित करेंगे एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों को अपने स्तर से सूचित करेंगे। साथ ही सभी प्रखण्ड के प्रखण्ड आई0टी0 सहायक को निदेश दिया जाता है कि निर्धारित तिथि को 10:00 बजे पूर्वा0 में कम्प्युटर सिस्टम पर लॉगिन करके रखेंगे और विडियो कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाले पदाधिकारियों से पंजी पर उपस्थिति बनवाना सुनिश्चित करेंगे, इसे जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा एवं आई0टी0 मैनेजर, मधेपुरा करना सुनिश्चित करेंगे।
6. विद्युत	जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि मेडिकल कॉलेज, मधेपुरा के परिसर में विद्युत पावर स्टेशन के निर्माण हेतु विभाग द्वारा अग्रतर कार्रवाई करने का निदेश प्राप्त है। प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा को निदेशित किया गया कि संबंधित अंचलाधिकारी को अपने स्तर से निदेशित करें कि उक्त पावर स्टेशन के निर्माण हेतु आज ही प्रस्ताव उपलब्ध करावें।
7. (कन्या विवाह योजना) जिला प्रोग्राम पदा0, आई0सी0डी0एस0, मधेपुरा	<p>जिलाधिकारी द्वारा आई0सी0डी0एस0 के विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त निदेश दिया गया कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के जितने भी लाभुक हैं, उनकी सूची संबंधित प्रखण्डों से Excel Sheet में प्राप्त कर लें, ताकि उसे तिथिवार /प्रखण्डवार /कोटिवार Sorting किया जा सके एवं उसे जांच कर नियमानुसार अविलम्ब भुगतान किया जाए।</p> <p>जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि विगत सप्ताह माननीय सांसद महोदय की अध्यक्षता में अनुश्रवण सह निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गयी थी, जिसमें आई0सी0डी0एस0 अन्तर्गत विभिन्न केन्द्रों से अवैध राशि वसूलने की बात बतायी गयी थी। साथ ही अति पिछड़ा वर्ग के आयोग महोदय द्वारा भी इस संबंध में शिकायत की गयी कि अवैध राशि की वसूली की जा रही है, जो किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0 को निदेशित किया गया कि आगे से इस तरह की शिकायत नहीं हो तथा किसी के द्वारा अवैध राशि नहीं वसूला जाए, इसे हरहाल में सुनिश्चित करेंगे।</p> <p>साथ ही यह भी निदेशित किया गया कि टी0एच0आर0 वितरण की तिथि को विभिन्न जिला स्तरीय पदाधिकारियों से जांच करने हेतु आदेश अविलम्ब निर्गत करें, ताकि उनके द्वारा विभिन्न आंगनबाड़ी केन्द्रों पर जा कर यह जांच किया जा सके कि टी0एच0आर0 का नियमित वितरण हो रहा है कि नहीं, कितना लाभुक है, कितना अनाज दिया है, जिस व्यक्ति को अनाज दिया है, उसके घर जाकर जांच किया जाए कि सही में अनाज दिया गया है अथवा नहीं। साथ ही जितने भी जांच प्रतिवेदन प्राप्त होते हैं, उसे समेकित कर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपलब्ध करावें।</p>

